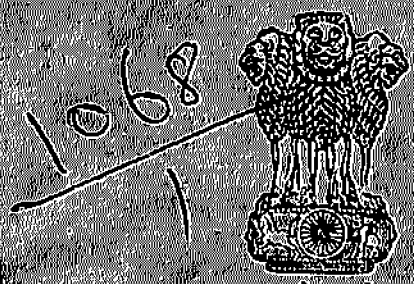

1068/1

सत्यमेव जयते

खंड ४ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १ फरवरी, १९५४

Vol. IV No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 1st February, 1954.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५४।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price Annas 6.*]

(ख) क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से शराब लाइसेंसी को शराब बिक्री करने के लिए भट्ठी के बाहर ग्राम ग्राम में शराब बिक्री कराने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इस अन्याय के लिए हमारी सरकार कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है, अगर नहीं तो क्यों ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) रांची जिला के गुमला सबडिवीजन में निम्न थानाओं में उल्लिखित संख्या में चुलाई वाले शराब की दुकानें हैं :—

थाना	चुलाई वाला शराब की दुकानें।
१। बिशुनपुर	२
२। चैनपुर	३
३। रैडीह	५
४। बसिया	४
५। पालकोट	४

(ख) सरकार को कोई खबर नहीं है।

(ग) लाइसेंस प्राप्त दुकानों के बाहर जो व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया जाता है उसे एक्साइज कानून के अधीन सजा दी जाती है।

जिलावार सन् १९४९ ई० से १९५३ तक बनाये गये बांधों की संख्या।

१३१। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बिहार राजस्व विभाग से जिलावार कितने बांध सन् १९४९ ई० से १९५३ तक बनाये गये ;

(ख) बांध बनाने में जिलावार कितने रुपये खर्च हुए ;

(ग) उनमें से कितने बांध विगत और वर्त्तमान वर्ष की बाढ़ से टूट गये ;

(घ) कितने बांध ऐसे हैं जिनका ऊपरी भाग वर्षा-बूंद की चोट के कारण और निचला भाग बाढ़ की लहरों के थपेड़ों के कारण खराब गया है और बेतरह कमजोर हो गया है ;

(ङ) क्या यह बात सही है कि बिना फिर से बनवाये या ठीक से मरम्मत कराये वे बांध अब काम लायक नहीं रहेंगे ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) और (ख) दो विभिन्न विवरण मेज पर रखे हैं, जिनमें १९४८-४९ से १९५२-५३ तक राजस्व विभाग द्वारा दिए गए सभी प्रकार के लघु-सिंचाई कार्य विवरण तथा उन पर किए गए व्यय की रकम, दिखाई गई है। बांधों के अलग आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ग), (घ) और (ङ) पहले साल की बाढ से बांधों के टूटने की कोई खबर नहीं है। जहां तक इस वर्ष की बाढ से बांध टूटने का सम्बन्ध है, इसकी जानकारी वर्षा ऋतु के अन्त होने ही पर तथा बांधों की हालत की जांच की जाने पर ही इकट्ठी की जा सकती है। लेकिन सरकार का ऐसा विचार है कि ऐसी व्यापक जानकारी को इकट्ठा करने में लगाया गया समय तथा श्रम और प्राप्त प्रतिफल दोनों समान नहीं होंगे। फिर भी सरकार की ऐसी कोशिश रहेगी कि वर्षा ऋतु में नष्ट हुए सभी बांधों की उचित मरम्मत हो जाय जिससे वे उपयोगी रह सकें।

संथाल परगना जिले के लिये लघु-सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिये गये रुपये की संख्या।

१३२। श्री मदन बेसरा—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में संथाल परगना जिले के लिये लघु-सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितने रुपये की मंजूरी हुई, और किस थाने में कितने रुपये खर्च किये गये;

(ख) इन योजनाओं के संबंध में सलाह देने के लिये जिले के आधार पर कोई समिति है;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त समिति की बैठक कब-कब हुई और कितनी योजनाओं में उसकी राय ली गई, यदि राय नहीं ली गयी, तो क्यों?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) मेज पर सूची रखी हुई है।

(ख) हां, संथाल परगना जिले के लिए एक परिनियत जिला सिंचाई समिति (स्टैचुटरी डिस्ट्रिक्ट रिगेशन कमिटी) है, जो लघु-सिंचाई योजनाओं को अनुमोदित करती है और वस्तुतः कार्यान्विति के लिए उनको मंजूरी होने के पहले ही प्रत्येक दशा में प्राथमिकता निश्चित करती है।

(ग) जिला सिंचाई समिति की बैठकें १९५०-५१ और १९५१-५२ में १६ अप्रिल, १९५०, ६ मई, १९५०, २४ जून, १९५०, २९ जुलाई, १९५०, ९ सितम्बर, १९५०, ९ अक्तूबर, १९५०, ८ नवम्बर, १९५०, ९ नवम्बर, १९५०, २९ दिसम्बर, १९५०, १० मार्च, १९५१, २१ अप्रिल, १९५१, २६ मई, १९५१, ३० जून, १९५१, २८ जुलाई, १९५१, १७ सितम्बर, १९५१ और १७ नवम्बर, १९५१ को की गयी।

अतिये उक्त समिति से परामर्श नहीं लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।